

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 649]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 13 अगस्त 2025 — श्रावण 22, शक 1947

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 अगस्त 2025

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR/2536/2025. - छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5(1)(क) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा निम्न अनुसूची में वर्णित क्षेत्र को नगर पालिका कुरुद, जिला—धमतरी गठित करता है:—

अनुसूची —1

नगर पालिका कुरुद की सीमा में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है:—

स. क.	नगर पालिका कुरुद में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण	जनसंख्या (वर्ष 2011)
1	नगर पंचायत कुरुद	13783

अनुसूची —2

कुरुद नगर पालिका की सीमाएं निम्नानुसार होंगी:—

नगर पंचायत कुरुद की सीमाएं ही नगर पालिका कुरुद की सीमा होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 13 अगस्त 2025

क्रमांक GENCOR/2536/2025. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13-8-2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 13th August 2025

NOTIFICATION

No. GENCOR/2536/2025. — In exercise of the powers conferred by section 5(1)(a) of Chhattisgarh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961) the State Government, constitute Municipal Council Kurud, Dist-Dhamtari as per schedule given below :-

SCHEDULE-1

The particulars of areas of Municipal Council Kurud is as under:-

S.No.	areas to be included in Municipal Council Kurud	population (Year 2011)
1	Nagar Panchayat Kurud	13783

SCHEDULE-2

The Revised boundary of Municipal Council Kurud is as under:-

The boundaries of Nagar Panchayat Kurud shall be the boundaries of Municipal Council Kurud.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.